झारखण्ड उच्च न्यायालय राँची में

डब्ल्यू0पी0 (एस) संख्या 231 वर्ष 2020

राम सुंदर प्रजापति, उम्र 31 वर्ष, देवकी प्रजापति के पुत्र, निवासी ग्राम–बिंदानी, डाकघर–पिटीज, थाना–राजपुर, जिला–चतरा

... . याचिकाकर्त्ता

बनाम्

1. झारखण्ड राज्य

2. सचिव, प्राथमिक शिक्षा, झारखंड सरकार, नेपाल हाउस, डाकघर और थाना–डोरण्डा, जिला–रांची

3. उपायुक्त, हजारीबाग, डाकघर और थाना–हजारीबाग, जिला–हजारीबाग

4. निदेशक (प्राथमिक शिक्षा), झारखंड सरकार, परियोजना भवन, डाकघर, थाना–धुर्वा, जिला–रांची

5. जिला शिक्षा अधीक्षक, हजारीबाग, डाकघर, थाना और जिला–हजारीबाग

6. जिला शिक्षा अधिकारी, हजारीबाग, डाकघर, थाना और जिला–हजारीबाग

.... उत्तरदातागण

कोरम : माननीय न्यायमूर्ति श्री संजय कुमार द्विवेदी

याचिकाकर्त्ता के लिए: श्री बिनोद कुमार दुबे, अधिवक्ता

उत्तरदाता–राज्य के लिए: श्री अनीस मिश्रा, अधिवक्ता

4/25.01.2021 श्री बिनोद कुमार दुबे, याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता और प्रतिवादी राज्य के विद्वान अधिवक्ता श्री अनीस मिश्रा को सुना।

2. इस रिट याचिका को कोविड–19 महामारी के कारण उत्पन्न स्थिति को ध्यान में रखते हुए उच्च न्यायालय के दिशानिर्देशों के मद्देनजर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सुना गया है। किसी भी पक्ष ने ऑडियो–वीडियो की किसी भी तकनीकी गड़बड़ी के बारे में शिकायत नहीं की है और उनकी सहमति से इस मामले को सुना गया है।

3. याचिकाकर्ता ने यह रिट याचिका उत्तरदाताओं को यह निर्देश देने के लिए दायर किया गया है कि याचिकाकर्ता को इंटरमीडिएट–प्रशिक्षित शिक्षक के रूप में नियुक्ति पत्र प्रदान किया जाय।

4. श्री दुबे, याचिकाकर्ता की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता ने कहा कि याचिकाकर्ता टी0ई0टी0 परीक्षा में उपस्थित हुआ है और वर्ष 2006 में पारा शिक्षक के रूप में चुना गया है और वह 03.07.2006 को उत्कर्मित प्राथमिक विद्यालय सुरीवाली पिटीज में योगदान दिया और वह काम कर रहा था और नियमित रूप से पैरा–शिक्षक के रूप में अपना मानदेय प्राप्त कर रहा था। याचिकाकर्ता अत्यंत पिछड़ा समुदाय से आता है। विज्ञापन संख्या 1/2015 के अन्तर्गत याचिकाकर्ता ने इंटरमीडिएट–प्रशिक्षित शिक्षक के पद के लिए आवेदन किया। उक्त विज्ञापन में, यह उल्लेख किया गया था कि पैरा–शिक्षक जो पैरा–शिक्षक के आधार पर आवेदन करेंगे, उनके लिए कुछ लाभ, हालांकि, कोई अवलोकन नहीं है कि पैरा–शिक्षक, गैर–पैरा शिक्षक के रूप में या स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में आवेदन नहीं कर सकते हैं और याचिकाकर्ता के मामले पर विचार नहीं किया गया है।

उन्होनें कहा कि मामले के इस पहलू पर एल0पी0ए0 संख्या 186/2017 और एल0पी0ए0 संख्या 199/2017 में डिवीजन बेंच द्वारा विचार किया गया है और कुछ निर्देश जारी किए गए हैं और याचिकाकर्ता का मामला पूरी तरह उक्त दो एल0पी0ए0 के दिशानिर्देश के मद्देनजर आच्छादित है।

5. श्री अनीस मिश्रा, प्रतिवादी राज्य की ओर से पेश विद्वान अधिवक्ता ने कहा कि याचिकाकर्ता को इस बारे में कोई निर्देश नहीं है कि याचिकाकर्ता का मामला उपरोक्त एल0पी0ए0 के उपरोक्त आदेशों के मद्देनजर पूरी तरह से आच्छादित किया गया है या नहीं।

6. उपरोक्त तथ्यों के आलोक में और रिट याचिका में किये गये निवेदन पर विचार करने के पश्चात्, याचिकाकर्ता को यह निर्देश देते हुए कि वह सभी साख जिसपर वह भरोसा कर रहा है और साथ में उपरोक्त दो एल0पी0ए0 में निर्णय जिस पर याचिकाकर्ता भरोसा किया है, के साथ उत्तरदाता संख्या 3 के समक्ष एक नया अभ्यावेदन दायर यकरने के निर्देश के साथ इस रिट याचिका को निष्पादित किया जा रहा है।

7. यदि ऐसा अभ्यावेदन पूर्वोक्त अवधि के भीतर दायर किया जाता है, तो उत्तरदाता संख्या 3 याचिकाकर्ता के मामले पर विचार करेगा और यह भी जांच करेगा कि क्या याचिकाकर्ता का मामला पूर्वोक्त एल0पी0ए0 में पारित उपरोक्त दो आदेशों के संदर्भ में आच्छादित किया गया है या नहीं और उसके बाद आठ सप्ताह के भीतर एक तर्कपूर्ण आदेश पारित करेगा।

8. उपरोक्त अवलोकन और निर्देश के साथ, इस रिट याचिका [डब्ल्यू0पी0 (एस) संख्या 231 वर्ष 2020] का निपटारा किया जाता है।

(संजय कुमार द्विवेदी, न्याया0)